‘दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा दिलाने का प्रयास रहेगा’

बीकानेर रेंज के नव पदस्थापित आईजी ओमप्रकाश द्वितीय ने कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित किया।

- आईजी ने कहा कि महिला और पॉक्सो के मामलों में हमारा प्रयास रहता है कि उसको लगातार फॉलोअप करके मुल्जिम को फांसी की सजा दिलाएं

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश ने कहा कि आमतौर पर हम देखा करते हैं कि हम अच्छी प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, मुल्जिम (आरोपी) पकड़ लिया। इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस की और खुश हो गए। थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जिसका चालान पेश किया, वो बरी हो जाता है।

इससे समाज और परिवादी खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। अभी हाल ही में बीकानेर पुलिस ने जिस मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। उसमें भी हमने स्पेशल पीपी को लाकर इसमें जांच के मुख्य पाइंट को देखा है ताकि आगे मुल्जिम किसी भी सूरत में बरी नहीं हो। महिला और पॉक्सो के मामलों में हमारा प्रयास रहता है कि उसको लगातार फॉलोअप करके फांसी की सजा दिलाएं। ऐसे प्रयास हमने पहले अजमेर और पाली में भी किए हैं।

आईजी ओमप्रकाश ने कहा कि बीकानेर में नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब उसे फांसी की सजा दिलाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए स्पेशल टीम गठित करके जांच करवाई जा रही है। जल्द से जल्द चालान पेश करके इतनी मजबूती से अदालत में पक्ष रखेंगे कि पॉक्सो और महिला उत्पीड़न के अभियुक्तों को फांसी मिल सके। आईजी ओमप्रकाश ने कहा कि सरहद पार से आने वाली ड्रग्स को लेकर मैं डीआईजी सिक्योरिटी था, तब भी मैंने इस पर काम किया था।

एनडीपीएस के मामले में कभी भी कोई नया अपराधी नहीं आता है। पुराने प्लेयर्स ही ये काम करते हैं। 2022-23 में हमने देखा कि पंजाब के एनडीपीएस चालान शुदा अपराधी जिन पर 22-23 मुकदमे थे। वे दोबारा से अरेस्ट हो रहे थे। वो ही इसी धंधे में लगे हुए थे। जमानत होने के बाद फिर से इसी काम में लग जाते थे।

आईजी ओमप्रकाश ने कहा कि हम एक नया प्रयोग करेंगे। आम सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई साइबर से जुड़ा अपराध होता है तो कहते हैं साइबर थाने जाइए। मुकदमा साइबर थाने में दर्ज कराने जाए या जरूरी नहीं है। इसके लिए छोटे थानों में 2-3 लोग ऐसे हो जो कॉल डिटेल निकाल सकें। डेटा का एनालिसिस कर लें, खाता ब्लॉक करवा सके। ये काम तो रूरल लेवल पर हो जाने चाहिए।

आमतौर पर होता है कि पीड़ित को साइबर थाने जाने का कहा जाता है। ऐसे में ग्रामीण आदमी साइबर थाने तक जायेगा जो वहां से 100 किमी दूर होगा। इतने में तो उसे काफी डैमेज हो चुका होगा। ऐसे में कोशिश करेंगे कि छोटे ग्रामीण थानों में भी कुछ दक्ष पुलिसकर्मी हो जो साइबर मामलों की जांच कर सकें।

बीकानेर रेंज के चारों जिलों में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले तीन सालों में नाबालिग से दुष्कर्म के पुलिस थानों में 853 केस दर्ज हुए हैं। बज्जू के रणजीतपुरा में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बीकानेर रेंज के चारों जिलों में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों की पड़ताल की।

सामने आया कि पिछले तीन सालों के दौरान नाबालिगों से दुष्कर्म के 853 मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज हुए जो हर साल बढ़ रहे हैं। वर्ष, 23 में 250, 24 में 271 और 25 में तेजी से बढ़कर 372 मुकदमे दर्ज हुए। यानी इन मामलों में 48.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष, 24 और 25 के आंकड़ों के मुताबिक 37.27 प्रतिशत मामले बढ़े हैं। सामूहिक दुष्कर्म के भी तीन सालों में 436 केस दर्ज हुए हैं। दरिंदों ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म ही नहीं किया, उनकी जान भी ले ली। तीन साल में रेंज के बीकानेर में तीन और हनुमानगढ़ में ऐसी एक वारदात हो चुकी है। इसके अलावा पिछले माह एक नाबालिग युवती ने सामूहिक दुष्कर्म से आहत होकर जहरीला स्प्रे पीकर जान दे दी थी।

आग से दो झोंपड़ी-छप्पर जलकर राख

बज्जू, (कासं)। बज्जू उपखंड की ग्राम पंचायत बांगड़सर के चक आरडी 875 पर मांगीलाल मेघवाल की ढाणी में आगजनी की घटना हुई। इस घटना में दो झोंपड़ी और एक छप्पर पूरी तरह जलकर राख हो गए। ढाणी में रखा घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े, सोने-चांदी के आभूषण और नकदी भी आग की भेंट चढ़ गए। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार के सदस्य खेत में काम कर रहे थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आस-पड़ौस के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्यूबवैल चलाकर आग पर काबू पाया। पड़ौसी भूराराम मेघवाल ने बताया कि इससे पहले भी इसी ढाणी में आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सरपंच प्रतिनिधि करणाराम मेघवाल ने जानकारी दी कि इससे पूर्व रेवतराम पुत्र फकीराराम मेघवाल के घर पर भी आगजनी की घटना हुई थी। उसके बाद से उनके घर में सामान, कपड़े और अन्य घरेलू वस्तुओं में बार-बार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं की सूचना मिलने पर बज्जू तहसीलदार मदनसिंह यादव के नेतृत्व में बज्जू पुलिस भी जांच के लिए मौके पर पहुंची थी। हालांकि इन आगजनी की घटनाओं के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।

होली की रंगत, चार स्थानों पर थंब पूजन

बीकानेर, (कासं)। रम्मतों का आगाज, थंब पूजन, और जगह-जगह फाग उत्सव की धूम। होलाष्टक लगने के साथ ही होली की रंगत शुरू हो गई। बसंत पंचमी से ही चंग की धमाल पर गाए जाने वाले गीत अब होली के पारंपरिक कार्यक्रमों में तब्दील हो गए। एक ओर जहां फक्कड़ दाता से रम्मतों का आगाज हुआ। वहीं शहर में चार स्थानों पर थंब पूजन किया गया।

बारह गुवाड़ में फक्कड़ दाता की रम्मत के साथ होली के मौके पर आयोजित होने वाली रम्मतों का आगाज हो गया। 24 फरवरी से बड़ा गोपालजी मंदिर में होली तक फाग उत्सव आयोजित होंगे। इसके साथ शहर के लगभग हर मोहल्लों में रम्मतें होंगी। कई मोहल्लों में तो एक ही दिन में तीन रम्मतों का मंचन होगा।

इसी तरह 28 फरवरी को फागणिया फुटबॉल का मैच होगा। होली के इस मैच में फिल्मी सितारों से लेकर राजनीति के दिग्गज नेताओं के स्वांग धर होली के मस्ताने फुटबॉल खेलेंगे। 28 को ही नत्थूसर गेट के अंदर फागोत्सव रथ यात्रा निकलेगी। होली के दिन हर्ष जाति की ओर से बने दूल्हे की छींकी यानी गणेश परिक्रमा निकलेगी और धुलंडी के दिन इसी बींद की बारात निकाली जायेगी।

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांक: सामान्य/भूमि/राजकाज/4478 लोक सूचना दिनांक : 24.02.26
श्री राम्प्रसाद बंसल पुत्र श्री गौरीशंकर निवासी वार्ड नं. 22, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	तहसील सूरतगढ़ के चक 35 पीबीएस पत्थर नं. 29/379 मुरब्बा नं. 57 किला नं. 1/1 (0.089), 2/1 (0.088), 3/1 (0.089), 4/1 (0.056), 7 (0.080), 8 (0.2145), 9 (0.253), 10 (0.253), 11 (0.1693), 12 (0.1303), 13/1 (0.0908) हैक्टेयर	1.5129 हैक्टेयर यानी 15129 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ....को जारी की गयी। - (पूजा शर्मा), प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांक: सामान्य/भूमि/राजकाज/4488 लोक सूचना दिनांक : 24.02.26
(1) श्री धीरज कुमार अरोड़ा पुत्र श्री शिव बन्धु (2) श्री पवन कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद (3) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद (4) श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद (5) श्री राम प्रसाद बंसल पुत्र श्री गौरीशंकर निवासीगण सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने निचे अंकित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	तहसील सूरतगढ़ के चक 35 पीबीएस पत्थर नं. 28/379 मुरब्बा नं. 56 किला नं. 17 (0.026), 18 (0.125), 19 (0.161), 20 (0.161), 21 (0.253) व पत्थर नं. 29/379 मुरब्बा नं. 57 किला नं. 16/1 (0.145), 16/2 (0.016), 17 (0.219), 18 (0.253), 19/1 (0.114), 24 (0.253), 25/1 (0.228), 25/2 (0.025) हैक्टेयर	1.979 हैक्टेयर यानी 19790 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24.02.2026 को जारी की गयी। - (पूजा शर्मा), प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

स्कूल में चार साल के बच्चे को कुत्तों ने नोंचा, सिर की चमड़ी खा गए

- मामला बीकानेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल सरकारी स्कूल ऊपनी गांव का है
- बच्चे की चीख सुनकर पहुंचे व्यक्ति ने मासूम को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया

बीकानेर, (कासं)। स्कूल के पहले ही दिन 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते बच्चे के सिर की चमड़ी खा गए। कान को काट लिया और शरीर को बुरी तरह से नोंच डाला।

बच्चे की चीख सुनकर पहुंचे व्यक्ति ने मासूम को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। मामला बीकानेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल सरकारी स्कूल ऊपनी गांव का का है। बच्चे का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को गंभीर चोट आई है। सिर की चमड़ी लगाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। गांव ऊपनी निवासी रामू (4) पुत्र रामप्रताप सिद्ध अपने बड़े भाई के साथ पहली बार स्कूल गया था। बच्चा करीब डेढ़ घंटे कक्षा में बैठने के बाद बाहर ग्राउंड में चला गया। इसी दौरान स्कूल का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था, जहां से कुत्तों का झुंड स्कूल में घुस आया।

कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया। कुत्तों के भौंकने और बच्चे के रोने की आवाज स्टाफ तक नहीं पहुंची। वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण ने बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। बाद में परिजन बदहवास हालत में बच्चे को तुरंत पीबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे।

पीबीएम ट्रोमा इंचार्ज डॉ. एल.के. कपिल ने बताया कि बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आई है। स्किन ग्राफ्टिंग के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। उससे पहले घाव को तीन बार साफ किया जायेगा। शरीर की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। इलाज लम्बा चल सकता है। एक साल का समय लगेगा, तब उसके सिर पर फिर से चमड़ी तैयार हो सकेगी। बार-बार प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ सकती है और बहुत सावधानी बरतनी होगी।

रामू का इलाज कर रहे पीबीएम अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. एम.एल. काजला का कहना है कि बच्चा वैसे स्वस्थ है, लेकिन जहां-जहां कुत्तों ने नोंच डाला है, वहां उसकी सर्जरी होगी। खासकर उसके सिर की चमड़ी कुत्ते खा गए हैं, जिसे वापस प्लास्टिक सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है।

ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि मुख्य गेट बंद क्यों नहीं किया गया। गेट पर गार्ड क्यों नहीं था और कक्षा से गेट तक बच्चा पहुंचा, किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया।

प्रिंसिपल सुभाष मीणा ने बताया कि बच्चा वॉशरूम की ओर गया था और कुछ ही पलों में बाहर चला गया। घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि स्कूल गेट के आसपास हिंसक कुत्तों की शिकायत पहले भी की गई थी।

चोरी के आरोपियों को डूंगरपुर से दबोचा

- ताला-चाबी ठीक करने के बहाने रैकी करने के बाद चोरी करते थे

बीकानेर, (कासं)। जेएनवीसी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घरों में चोरी करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने डूंगरपुर से आरोपियों को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। थानाधिकारी तिवाड़ी ने बताया कि प्रार्थी अजय आहूजा ने 11 फरवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 10 फरवरी 2026 को शाम करीब 4 बजे दो अज्ञात व्यक्ति रास्ते में ताला-चाबी ठीक करने की बात कहते हुए मिले। वे उन्हें घर ले गए जहां अलमारी का ताला ठीक करने के दौरान दोनों ने नजर बचाकर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ली और फरार हो गए।

घटना के बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा टावर लोकेशन व अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से संदिग्धों की पहचान की गई। लगातार पीछा कर पुलिस ने डूंगरपुर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। नानक सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती बेड़वास, प्रतापनगर थाना, जिला उदयपुर। नानक सिंह पुत्र बहादुर सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी हॉस्पिटल के पीछे बासड़वाड़ा हरिजन बस्ती, कोतवाली थाना, जिला डूंगरपुर को पकड़ा।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शहर की गलियों में ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घूमते थे। जब कोई व्यक्ति ताला सही कराने के लिए संपर्क करता, तो ये कम पैसे में काम करने की बात कहकर मकान मालिक को बातों में उलझाकर अलमारी या संदूक में रखा कीमती सामान चोरी कर बैग में रख लेते और ताला ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर मौके से निकल जाते।

180 रूई की गांठों के गबन का मामला दर्ज

नोखा, (कासं)। नोखा थाने में एक ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ 180 रूई की गांठों के गबन का मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा बाधनु निवासी नवरतन चिंटाला ने इस्तगासे के जरिए दर्ज करवाया है।

नवरतन चिंटाला ने बताया कि वह अपने भाई भंवरलाल की महाराष्ट्र स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी श्री श्याम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुख्त्यारआम हैं। कंपनी ने 2 जनवरी 2025 को तेलंगाना की श्री संतोषी मत्वा श्री कॉटन इंडस्ट्रीज से 180 रूई की गांठें बुक की थी। इन्हें भारत बैंज ट्रक के माध्यम से पंजाब के भटिंडा स्थित गर्ग अक्रयलिस लिमिटेड तक पहुंचाना था।

शिकायत के अनुसार ट्रक मालिक राजू सिंह (निवासी बीरमसर) और ट्रक ड्राइवर ने रूई की गांठें निर्धारित गंतव्य पर नहीं पहुंचाई। आरोप है कि उन्होंने इन गांठों को नोखा स्थित अपने घर पर रोककर रख लिया।

नवरतन चिंटाला ने कई बार ट्रक मालिक राजू सिंह और ड्राइवर से संपर्क किया। शुरूआत में उन्हें गांठें लौटाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में दोनों ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

आरोपियों ने कथित तौर पर कहा हमें तो आपकी रुई की गांठों का गबन करना था। हमने तो गबन कर लिया है। तेरे से जो होता है कर ले।’ प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने मिलकर रुई की गांठों का गबन कर विश्वासघात किया है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्र. :- LU2012/SGN/2025-26/101505 लोक सूचना दि. : 25.02.2026
श्री मदन रावल पुत्र श्री कन्हैयालाल ए-10, ग्रीन फील्ड एवेन्यु, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री मदन रावल पुत्र श्री कन्हैयालाल	चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 5 में 0.228 है. यथाकुल 0.228 हैक्टेयर	यथाकुल 0.228 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25.02.2026 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक:- नियमन/2026/5160 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक :
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 17 में भूखण्ड संख्या 57 का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' व 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री राधेश्याम कथूरिया निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री राधेश्याम कथूरिया निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 17 में भूखण्ड संख्या 57 का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' व 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नही होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2024/RajKaj Ref No.: 12132066 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक :5-12-24
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राम कुमार बिश्नोई पुत्र श्री सुखराज बिश्नोई निवासी म.न. 1540 होमलैण्ड सिटी-II, श्रीगंगानगर एवं श्रीमती अंजू बेनीवाल पुत्री श्री सुखराज बिश्नोई पत्नी श्री प्रशांत बेनीवाल निवासी एम-401, लॉरल्स पार्क, मगरपटा सिटी, हडपसर, पुणे, महाराष्ट्र के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है:

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 एफ छोटी मुरब्बा नं. 34 किला नं. 24 में माप 30 इन्टू 75 फीट भूखण्ड संख्या 1540, होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 9654 दिनांक 20.05.2019 को श्री राजकुमार बंसल पुत्र श्री सुखदेव चन्द बंसल, करनवीर सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, रंजीव कुमार पुत्र तरसेम लाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री रामकुमार बिश्नोई एवं श्रीमती अंजू बेनीवाल द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 08.01.2024 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री राम कुमार बिश्नोई पुत्र श्री सुखराज बिश्नोई निवासी म.न. 1540 होमलैण्ड सिटी-II श्रीगंगानगर एवं श्रीमती अंजू बेनीवाल पुत्री श्री सुखराज बिश्नोई पत्नी श्री प्रशांत बेनीवाल निवासी एम-401, लॉरल्स पार्क, मगरपटा सिटी, हडपसर, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री होल्ड पटटे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1083 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

मकान में लगी आग से सामान जलकर राख

- घटना चक 4 डीएलएम में श्योपाल सिंह के खेत की है

बीकानेर, (कासं)। जिले के लूणकरनसर तहसील के दुलमेरा गांव में एक खेत में बने मकान में अचानक भीषण आग लग गई।

घटना चक 4 डीएलएम में श्योपाल सिंह के खेत की है, जहां खेत पर काम करने वाले काश्तकार राधेश्याम पंडित (निवासी हंसेरा गांव) परिवार सहित रहते थे। आग की लपटें उठती देख आसपास के खेतों में मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने ट्यूबवैल चालू कर पाइपों के जरिए पानी डालना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन आग ने घर का अधिकांश सामान जलाकर राख कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब 1 लाख 90 हजार रूपये नकद, राशन, जेवर, कपड़े, कृषि संबंधी मशीन, टीवी, फ्रिज, सोना-चांदी और जरूरी कागजात पूरी तरह नष्ट हो गए।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार लाखों रूपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर हल्का पटवारी मंजू मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। विनोद कुमार पूनिया ने बताया कि सूचना मिलते ही पटवारी को भेज दिया गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी। ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण आज

बीकानेर,(कासं)। प्रखर राष्ट्रभक्त विनायक दामोदर सावरकर की 60 वीं पुण्यतिथि पर वीर सावरकर पर्यावरण सेवा समिति द्वारा 26 फरवरी को एम.एन.अस्पताल के सामने, गवर्नमेंट प्रेस रोड़ पर प्रातः 10.30 बजे वीर सावरकर की अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया जायेगा।

अभी हाल ही में सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय मार्गों पर लगाई जाने वाली प्रतिमा से संबंधित संभाग स्तरीय समिति की बैठक के बाद बीकानेर शहर में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की प्रतिमा स्थापना की स्वीकृति जारी की गई थी। प्रतिमा का अनावरण प्रख्यात कथावाचक साध्वी ऋतंभरा के कर कमलों द्वारा किया जायेगा तथा केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मुख्य अतिथि होंगे।

मुरली मनोहर मंदिर के जीर्णोद्धार को अभी तक नहीं मिली मंजूरी

- पिछले बजट घोषणा में मंदिर के लिए एक करोड़ 62 लाख रूपए का बजट जारी हुआ था
- एक साल बाद डीपीआर बनी, विभाग से अभी नहीं मिली मंजूरी

बीकानेर, (कासं)। भीनासर स्थित मुरली मनोहर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केन्द्र है। यहां पर राधा-कृष्ण के साथ, शिवजी और हनुमानजी विराजमान है। भीनासर सहित आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु इस मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। इसके बावजूद डेढ़ साल पहले बारिश में क्षतिग्रस्त मंदिर में बने बहुत से कमरे व बाहर बनी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थी। इनकी सार संभाल को लेकर देवस्थान विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

हैरानी की बात यह है कि पिछले बजट घोषणा में मंदिर के लिए एक करोड़ 62 लाख रूपए का बजट जारी हुआ था ताकि मंदिर में जीर्णोद्धार का काम करवाया जा सके। इस काम के लिए नोडल एजेंसी पीडब्लयूडी को बनाया गया था। संबंधित महकमे की ओर से हाल ही में मंदिर में होने वाले कार्यों की डीपीआर बनाकर देवस्थान विभाग के सुपुर्द की गई है, जिसे मंजूरी के लिए हैड ऑफिस भिजवाया जा चुका है।

उधर सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य स्वीकृति मिलते ही शुरू करवा दिया जायेगा। मंदिर का मौका मुआयना कर करवाए जाने वाले कार्यों की सूची फाइनल कर ली गई है।

भीनाशहर के नरेन्द्र कुमार डागा ने बताया कि पहले यहां पर 108 कमरे हुआ करते थे। अब महज 10 कमरे ही बचे हैं। पिरोल का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के चलते गिरने की कगार पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं को हर वक्त हादसे का भय सताता रहता है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में पहले राजा व रानियां आकर रूका करती थी। सुबह दर्शन के बाद वह यहां से लौटते थे। बीकानेर का सबसे बड़ा मेला जन्माष्टमी का इसी मंदिर में भरता है।

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org
क्रमांक / निर्माण / 2025-26 / 2871 दिनांक 19.02.2026
ई- निविदा-सूचना सं0 188/2025-26
नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
निविदा की कुल लागत 30.00 लाख
UBN Number DLB2526WSOB35190
राज.संवाद / सी / 25 / 21171
आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org
क्रमांक / निर्माण / 2025-26 / 2921 दिनांक 20.02.2026
ई- निविदा-सूचना सं0 190/2025-26
नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
निविदा की कुल लागत 31.54 लाख
UBN Number DLB2526WSOB35387
राज.संवाद / सी / 25 / 21299
आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

किसानों को उन्नत तरीकों से चना बीज उत्पादन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण

एसकेआरएयू के केन्द्रीय फार्म खारा में ‘चना बीज उत्पादन’ विषय पर किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया।

- चना फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन, बीज शोधन, पौधों की दूरी के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जानकारी दी

बीकानेर, (कासं)। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (बीज) के तहत एसकेआरएयू के केन्द्रीय फार्म खारा में ‘चना बीज उत्पादन’ विषय पर बुधवार को किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में किसानों से संवाद करते हुए निदेशक अनुसंधान डॉ. एन. के. शर्मा ने कहा कि बीज कृषि उत्पादन की आधारशिला है। गुणवत्तापूर्ण एवं रोग-रहित प्रमाणित बीजों का उत्पादन ही अधिक उपज और बेहतर आय का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने तथा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन को बढ़ावा देने का आव्हान किया। डॉ. ए. के. शर्मा ने चने की उन्नत किस्मों, बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों, प्रमाणित बीज के महत्व तथा गुणवत्ता मानकों के पालन पर विस्तार से जानकारी दी। डॉ. जे. के. तिवारी ने चना फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन, बीज शोधन, पौधों की दूरी के वैज्ञानिक प्रबंधन पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रक्षेत्र पर व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से बीज उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया समझाई। डॉ. पी. एस. शेखावत ने किसानों को बीज उत्पादन में सावधानियों, फसल चक्र अपनाने तथा भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के महत्व के बारे में अवगत करवाया। डॉ. दाताराम ने बीज प्रमाणन प्रक्रिया, भंडारण तकनीक एवं विपणन संभावनाओं पर जानकारी देते हुए किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

किसानों ने विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रशिक्षण में 60 किसानों ने भागीदारी निभाई।

निजी बसों की हड़ताल से यात्री परेशान

बज्जू, (कासं)। बज्जू में पिछले दो दिन से निजी बसों की हड़ताल जारी है, जिससे बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बीकानेर-राववाला रूट पर चलने वाली एकमात्र रोडवेज बस सेवा भी कई महीनों से बंद है। जिसके कारण बज्जू से बीकानेर या अन्य मार्गों के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। बज्जू बस ऑपरेटर एसोसिएशन के रामकुमार पूनिया ने बताया कि राज्य सरकार की नई नीतियों और नियमों के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में एक बस दुर्घटना के बाद से ही बस ऑपरेटरों को नए और अव्यवहारिक कानूनों और नियमों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। पूनिया ने कहा कि इन नियमों के कारण न केवल बस ऑपरेटरों पर बल्कि आम जनता पर भी आर्थिक बोझ बढ़ा है।

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग
प्रपत्र-11(1)
(अन्तर्गत भूमि, अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) एवं राजस्थान नियम 16(1))
प्रारंभिक अधिसूचना
दिनांक 19 दिसम्बर, 2025
RAJKAJ 19483060 :- चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के बीकानेर के ग्राम श्रीडूंगरगढ, तहसील श्री डूंगरगढ में Construction of Railway Over Bridge (ROB) at railway crossing no LC224/B1-2 railway Km 388/1-2 on Sridungargarh Bidasar road (SH&93) Sridungargarh ओवरब्रिज निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 8.6129 (हेक्टेयर व अर्जन क्षेत्रफल 1.1840 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) अध्ययन की रिपोर्ट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्देशीय कमेटी द्वारा किया गया जिससे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
1. अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन (अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत की गई है।
2. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को जिनका इससे संबंध है को ईलाके में किसी भी भूमि का सर्व नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने या परियोजना के क्रियान्वतय व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
3. भूमि अधिग्रहण, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्री डूंगरगढ की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगन सृजित नहीं करेगा। 4. उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीडूंगरगढ के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
अनुसूची
राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ तहसील ग्राम श्रीडूंगरगढ में (उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित/संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
आर.के. लूथरा
संयुक्त सचिव (पथ)
सानिवि राजस्थान, जयपुर
जिला बीकानेर
DIPR/C/3113/2026